

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-३)



क्र. एफ 4(9) ग्रावि / ग्रुप-३ / शिका. / हैल्पलाईन / ०९-१०

जयपुर, दिनांक ०८.०१.२०२३ MARCH 2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम, राजस्थान
जिला समस्त।

- विषय:-** महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत स्थापित निःशुल्क हेल्प डेस्क इनफोरमेशन मॉनिटरिंग सिस्टम (कॉल सेन्टर) के माध्यम से डेटा कलेक्शन के संबंध में।
प्रसग:- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक १६.०४.१२ एवं २६.११.२०१२

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के क्रम में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत सभी ग्राम सेवकों को प्रतिदिन एसएमएस के माध्यम से कॉल सेन्टर को सूचना भिजवाये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया था, परंतु अधिकांश जिलों में ग्राम सेवकों द्वारा उक्त सूचना नियमित रूप से नहीं भिजवाई जा रही है। यहां से बार-बार निर्देशों के बावजूद भी सूचना नहीं भिजवाना गम्भीर लापरवाही का द्योतक है। ग्राम सेवकों द्वारा एसएमएस के माध्यम से प्रतिदिन (गुरुवार एवं रविवार के अलावा) निम्नानुसार सूचना एचआईएमएस कॉल सेन्टर को प्रेषित की जानी हैः—

क्र.सं.	एसएमएस का विवरण	सूचना का विवरण
1	MRPL- Muster roll Present Labour	ग्राम पंचायत क्षेत्र में (लाईन विभागों सहित) चल रहे समस्त कार्यों पर उपस्थित मजदूरों की संख्या
2	AFMD- Measurement Due After Completion of Fortnight	ग्राम पंचायत क्षेत्र में पखवाड़ा समाप्ति उपरान्त माप से वंचित कार्यों की संख्या
3	NWDP- Number of Works Due for Payment	ग्राम पंचायत क्षेत्र के कार्यों की संख्या, जिनमें पखवाड़ा समाप्ति के १५ दिवस उपरान्त भी भुगतान बकाया है
4	A	समय-समय पर आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा चाही गई अन्य सूचना।
5	B	समय-समय पर आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा चाही गई अन्य सूचना।

ग्राम सेवकों को भिजवाये जाने वाले एसएमएस का प्रारूप—MGNREGA MRPL AFMD NWDP AAA BBB Please Send this information to 9246356765 by 11:00 am

सूचना भेजते समय यह भी ध्यान रखा जावे कि :—

- संदेश में MGNREGA के बाद स्पेस देना अनिवार्य है
- कोई भी सूचना बिना संख्या के नहीं भेजें। यदि ग्राम पंचायत की उस दिन की कोई भी सूचना शून्य है, तो जवाब में शून्य ही भेजा जावे। स्थान रिक्त न रखें।

4. दो सिम वाला मोबाईल होने की स्थिति में सीयूजी वाली सिम को मुख्य (मास्टर) सिम के रूप में रखा जावे।
5. यदि ग्राम सेवक द्वारा भिजवाई गई सूचना में कोई गलती है तो उसे ठीक कराने के लिए कॉल सेन्टर के सीयूजी नंबर 9530306139 पर फोन करके अवगत कराया जावे।

उक्त सूचना प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे तक ग्राम सेवकों द्वारा एसएमएस के माध्यम से कॉल सेन्टर को भिजवाई जानी है। ग्राम सेवकों द्वारा प्रतिदिन उक्तानुसार सूचना नहीं भेजने पर एचआईएमएस कॉल सेन्टर से दोपहर 1.00 बजे ग्राम सेवक के पास इस आशय का रिमाइन्डर संदेश भेजा जाता है। ग्राम सेवक द्वारा फिर भी सूचना नहीं भेजने पर 3.00 बजे विकास अधिकारी के पास रिमाइन्डर संदेश कॉल सेन्टर द्वारा भिजवाया जाता है। यदि फिर भी सूचना नहीं भिजवाई जाती है तो सायं 5.00 बजे कॉल सेन्टर की ओर से पुनः विकास अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम) को एसएमएस के माध्यम से रिमाइन्डर दिया जाता है। डेटा कलेक्शन की सूचना जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं विकास अधिकारी के डेशबोर्ड पर भी उपलब्ध है। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि प्रतिदिन जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं विकास अधिकारी अपना डेशबोर्ड चैक करें। उनके डेशबोर्ड पर प्रतिदिन भिजवाई गई सूचना का विवरण उपलब्ध है। प्रतिदिन जहां-जहां से सूचना नहीं भिजवाई जाती है, उन्हें तुरन्त सूचना भेजने हेतु निर्देशित करें।

यहां से बार-बार निर्देशों के बाद भी ग्राम सेवकों द्वारा उक्तानुसार सूचना कॉल सेन्टर पर नहीं भिजवाई जा रही है। कृपया आप अविलम्ब यह सुनिश्चित करें कि प्रतिदिन ग्राम सेवक उक्तानुसार एसएमएस के माध्यम से तूचना कॉल सेन्टर को भेजें। जो ग्राम सेवक समय पर उक्तानुसार सूचना नहीं भेजते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

भवदीय,

अभय कुमार
(अभय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
3. अति. आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस, जयपुर।
4. परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम/द्वितीय) ईजीएस तथा मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस